न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 690/2022
अनवान : –

1. बिमला पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: **26.09.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 171/171 की कुल 5.6650है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा व खाता स0 199/199 की कुल 21.4230है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति है। लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द का देहान्त हो चुका है अतः वादीया लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द की पत्नी होने के कारण प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया है जो लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में जमाबंदी [illegible] ललानाबास दिखनादा खाता स0 171/171 खाता स0 199/199 प्रदर्श– 1 व 2 मृत्यु प्रमाण पत्र लीलूराम पुत्र अमीचन्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श–3, बयान श्री राजेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह व राजबाला पत्नी संजय कुमार पुत्री बलवीर सिंह प्रदर्श– 4 ता 5, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–6 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि एवं वारिसान के संबंध में राजेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी ललाना दिखनादा व राजबाला पत्नी संजय कुमार पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी असरजाना ने न्यायालय में उपस्थित आकर सशपथ बयान दिये की लिलूराम का स्वर्गवास हो चुका है उक्त वाद भूमि बिमला के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है लिलूराम के बिमला के अलावा और कोई अन्य कानूनी वारिस नही है। उक्त बयान हमने बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवाश के साथ दिये है। गवाहन के बयान बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीया ने अर्जीदावा के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पति के मृत्यु उपरान्त वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद का निस्तारण राज्य हितों को सुरक्षित रख कर किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 171/171 की कुल 5.6650है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा व खाता स0 199/199 की कुल 21. 4230है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श –5 के अनुसार मृतक लिलूराम के बिमला के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद भूमि एवं लिलूराम के वारिसान के संबध में राजेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह व राजबाला पत्नी संजय कुमार पुत्री बलवीर ने सशपथ बयान दिये की उक्त वाद भूमि बलवीर के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है बलवीर के जायज व कानूनन वारिसा बिमला के अन्य कोई नही है अतः उक्त वाद भूमि बिमला के नाम किया जाना उचित है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि दादालाई/विरासतन कृषि भूमि होना साबित है। प्रदर्श 3 से स्पष्ट साबित है कि लिलूराम का देहान्त हो चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मृतक लिलूराम के बिमला ही एकमात्र वारिस है। अतः वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं राजेश पुत्र बलवीर एवं राजबाला पत्नी [illegible] कुमार पुत्री बलवीर के बयान के आधार पर वाद वादीया साबित होने के क[illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं राजेश पुत्र बलवीर एवं राजबाला पत्नी संजय कुमार पुत्री बलवीर के बयान के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 171/171 की कुल 5.6650है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा व खाता स0 199/199 की कुल 21.4230है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 690/2022

अनवान : –

1. बिमला पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 690 सन 2022 निर्णय दिनांक 26/09/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी रविन्द्र गोदारा व पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं राजेश पुत्र बलवीर एवं राजबाला पत्नी संजय कुमार पुत्री बलवीर के बयान के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 171/171 की कुल 5.6650है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा व खाता स0 199/199 की कुल 21. 4230है0 भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक लीलू उर्फ लीलूराम पुत्र अमीचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:05 IST
Reason: SelfAttested